

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-02 / (स्था.पद.)-03-03 / 2018----- / राँची, दिनांक ----- /

-: शुद्धि-पत्र :-

कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांक-1595 दिनांक 26.03.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय मंत्री कोषांग में प्रतिनियुक्त श्री कुमार अरविन्द, सहायक अभियंता (असैनिक), (आई.डी.-जे.-8178), योजना एवं मोनेटरिंग अंचल-02, राँची को योजना एवं मोनेटरिंग अंचल-02, राँची के कार्यों से मुक्त किया जाता है। वे पूर्ण रूपेण विभागीय मंत्री कोषांग में कार्य करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह./-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 1638

राँची, दिनांक :- 28-03-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ अवर सचिव, योजना-सह-वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेदशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबंध निदेश, झालको, राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07ब., 7यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sharma
28.3.18

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।
12/28/18